



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश
(कक्ष-स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स म.प्र.)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेस विज्ञप्ती (73/26, दिनांक 23.09.2026)

***अंतर्राष्ट्रीय बाघ तस्कर की सजा यथावत:
माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय नर्मदापुरम ने दिया ऐतिहासिक आदेश:**

मध्यप्रदेश स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (MPSTSF) को बाघ शिकार एवं उसकी अंतर्राष्ट्रीय तस्कर पर तस्करी के प्रकरण में बड़ी न्यायिक सफलता प्राप्त हुई है। माननीय जिला एवं सत्र न्यायालय, नर्मदापुरम द्वारा आपराधिक अपील क्रमांक 24/2025 में दिनांक 17 सितंबर, 2026 को अंतिम निर्णय पारित करते हुए अंतर्राष्ट्रीय वन्यप्राणी तस्कर ताशी शेरपा की अपील को निरस्त कर दिया गया है तथा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम द्वारा दी गई 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10,000/- के अर्थदंड की सजा को यथावत रखा गया है।

जुलाई 2015 में सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नर्मदापुरम में बाघ के अवैध शिकार और बाघ की हड्डियों की चीन में अवैध तस्करी संबंधी प्रकरण दर्ज किया गया था जिसमें ताशी शेरपा वांछित था। प्रकरण की गंभीरता के कारण इसे स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स (एसटीएसएफ) को विवेचना हेतु सौंप दिया गया। आरोपी ताशी शेरपा लंबे समय से फरार चल रहा था। STSF टीम द्वारा लगातार पीछा करते हुए 23 जनवरी, 2024 को अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास पानी टंकी, सिलीगुड़ी (पश्चिम बंगाल) से उसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से फर्जी भारतीय दस्तावेज (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस), विदेशी मुद्रा, नेपाली-भूटानी मुद्रा और 3 मोबाइल जब्त किए गए थे।

MPSTSF ने वैज्ञानिक विवेचना करते हुए ताशी शेरपा के ब्रेन मैपिंग (बीईओएस) और नार्को एनालिसिस परीक्षण करवाये, परीक्षण में ताशी शेरपा द्वारा बाघ की हड्डियों और पैंगोलिन स्केल्स की तस्करी में संलिप्तता की पुष्टि हुई। जिससे उसके खिलाफ महत्वपूर्ण सबूत मिले। इसके अतिरिक्त, साइबर डेटा भी एकत्र कर माननीय न्यायालय में महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में पेश किया। MPSTSF ने एक संगठित गिरोह का पर्दाफाश किया जिसमें कुल 30 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रकरण की विस्तृत सुनवाई के बाद दिसंबर 2022 को माननीय मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी नर्मदापुरम (होशंगाबाद) ने 27 आरोपियों (दो मृत और एक फरार) को दोषी ठहराया और उन्हें 05-05 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जांच के दौरान, एसटीएसएफ ने इंटरपोल, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (डब्ल्यूसीसीबी) और अन्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों से सहायता भी मांगी।

ताशी शेरपा को अंतरराष्ट्रीय बाघ तस्करी गिरोह की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जिसका नेटवर्क भारत, नेपाल, भूटान और चीन तक फैला हुआ है। ताशी शेरपा मूल रूप से चीन के स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत का निवासी है। ताशी शेरपा द्वारा माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, नर्मदापुरम द्वारा दी गई 5 वर्ष के सश्रम कारावास एवं ₹10,000/- के अर्थदंड की सजा के निर्णय के विरुद्ध नर्मदापुरम के जिला एवं सत्र न्यायालय में अपील की गई थी। सत्र न्यायालय ने प्रकरण में STSF द्वारा प्रस्तुत मौखिक, दस्तावेजी और वैज्ञानिक साक्ष्यों को संदेह से परे माना और आरोपी की अपील को सारहीन पाते हुए निरस्त कर दिया।

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
(कक्ष- एसटीएसएफ)
मध्यप्रदेश, भोपाल